2025: सीजीएचसी:20636-डीबी

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय,बिलासपुर

दाण्डिक अपील सं1350/1997

{पंचम अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग के सत्र परीक्षण क्रमांक 160/1996 में दिनांक 2-7-1997 के निर्णय से उद्भूत}

श्रीमती. जयंती बाई, पति दुलारूआराम, मेशराम, आयु 35 वर्ष, निवासी ग्राम परसोदा, पी एस. बालोद, जिला-दुर्ग (म.प्र.) (अब छ.ग)

---अपीलार्थी

बनाम

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

म.प्र. राज्य (अब छ.ग. राज्य)

---उत्तरवादी

अपीलार्थी हेतु :--सुश्री अदिति सिंघवी, अधिवक्ता।

उत्तरवादी/राज्य हेतु :--श्री एच.ए.पी.एस. भाटिया, पैनल अधिवक्ता।न्यायमित्रःश्री ऋषि राहुल सोनी, अधिवक्ता।

युगल पीठ :-

माननीय श्री संजय के. अग्रवाल न्यायाधीश

तथा

माननीय श्री दीपक कुमार तिवारी, न्यायाधीश

पीठ पर निर्णय

2025: सीजीएचसी:20636-डीबी

(06/05/2025)

संजय के. अग्रवाल, न्यायाधीश के अनुसार

1.यह दाण्डिक अपील दं. प्र. सं. की धारा 374(2) के तहत, सत्र विचारण क्रमांक 160/1996 में 5वें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, दुर्ग द्वारा पारित दिनांक 2-7-1997 के दोषसिद्धि और दंड के आदेश के विरुद्ध निर्देशित है, जिसके द्वारा एकमात्र अपीलकर्ता को भा.दं. सं. की धारा 302 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है और आजीवन कारावास की दंड पारित किया गया है और साथ ही 1,000/- रुपये का जुर्माने का भुगतान करने का दंड पारित किया गया है, जुर्माना राशि का भुगतान न करने पर छह महीने के लिए अतिरिक्त साधारण कारावास की दंड पारित किया गया है।

2. संक्षेप में, अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि अपीलार्थी, जो एक परित्यक्ता महिला है, ने 13-12-1995 को प्रातः 11 बजे अपने घर में एक लड़के को जन्म दिया और अपने नवजात बच्चे को पैरों से कुचलकर उसकी मृत्यु का कारण बनी।उसी दिन प्र.पी-1 द्वारा मर्ग सूचना दर्ज की गई और प्र.पी-8 द्वारा देहाती नालिशी दर्ज की गई।प्र.पी-14 द्वारा क्रमांकित मर्ग सूचना दर्ज की गई और प्र.पी-15 द्वारा प्राथमिकी दर्ज की गई। पटवारी द्वारा प्र.पी-18 द्वारा स्थल मानचित्र तैयार किया गया।मृत शिशु के शव की जांच प्र.पी-3 के तहत की गई और शव का पोस्टमार्टम डॉ. अनिल अग्रवाल (पीडब्लू-5) द्वारा प्र.पी-12 के तहत किया गया और मृत्यु का कारण शॉक न्यूरोजेनिक और रक्तस्रावी बताया गया और मृत्यु की प्रकृति मानवहत्या थी। डॉ. अनिल अग्रवाल (पीडब्लू-5) ने हाइड्रोस्टेटिक परीक्षण भी किया, जिसमें उन्होंने परिणाम सकारात्मक पाया, क्योंकि बच्चे ने मृत्यु से पहले सांस ली थी और उन्होंने अपीलकर्ता को चिकित्सा परीक्षण के लिए डॉ. (श्रीमती) अल्पना अग्रवाल (पीडब्लू-4) के पास भेजा।डॉ. (श्रीमती) अल्पना अग्रवाल (पीडब्लू-4) द्वारा प्र.पी-11 के तहत अपीलार्थी का चिकित्सकीय परीक्षण किया गया और उन्होंने यह राय दी कि परीक्षण के समय उसने 48 घंटे के भीतर एक बच्चे को जन्म दिया है और परिणामस्वरूप, अपीलार्थी को गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर वाद चलाया गया।जब्त वस्तुओं को रासायनिक परीक्षण के लिए क्षेत्रीय एफएसएल, रायपुर भेजा गया और एफएसएल रिपोर्ट प्र.पी-19 के तहत तैयार की गई, जिसके अनुसार अभियुक्त/अपीलार्थी की मिट्टी, पेटीकोट और लुंगी पर खून पाया गया, जिसे क्रमशः अनुच्छेद ए, सी और डी के रूप में चिह्नित किया गया।

3. साक्षीयों के कथन दं. प्र. सं. की धारा 161 के तहत दर्ज किए गए। उचित अन्वेषण के बाद, अभियुक्त/अपीलकर्ता के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया और आरोप पत्र क्षेत्राधिकार वाली दाण्डिक न्यायालय अर्थात न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बालोद के समक्ष दायर किया गया और मामला सत्र न्यायालय, दुर्ग को सौंप दिया गया, जहां से विद्वान पंचम अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग ने मामले के विचारण के लिए स्थानांतरित कर दिया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2025: सीजीएचसी:20636-डीबी

4.अभियुक्त/अपीलकर्ता ने अपना दोष स्वीकार कर लिया और बचाव पक्ष में तर्क पेश कीं। अपराध को पुष्ट करने के लिए, अभियोजन पक्ष ने दस साक्षीयों से परीक्षण किया गया तथा 19 दस्तावेज़ प्रस्तुत किए।बचाव पक्ष ने अपने मामले के समर्थन में चार साक्षीयों से परीक्षा की और छह दस्तावेज़ (एक्स.डी-1 से डी-6) प्रस्तुत किया है।अभियुक्त/अपीलकर्ता से दं. प्र. सं. की धारा 313 के तहत परीक्षा की गई, जिसमें उसने अपने विरुद्ध दिखाई देने वाली परिस्थितियों से इनकार किया, निर्दोषता और संबंधित अपराध में झूठे आरोप लगाने का तर्क दिया गया ।

5. विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य की सराहना करने के बाद, इस निर्णय के शुरुआती कंडिका में उल्लिखित तरीके से भा.दं. सं. की धारा 302 के तहत अपराध के लिए अपीलकर्ता को दोषी ठहराया और दंड पारित किया गया, जिसे उसके द्वारा दं. प्र. सं. की धारा 374 (2) के तहत इस दाण्डिक अपील के माध्यम से चुनौती दी गई है।

6. अपीलार्थी की ओर हेतु उपस्थित विद्वान अधिवक्ता सुश्री अदिति सिंघवी निम्नानुसार प्रस्तुत करते है :--

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1. अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा है कि अपीलकर्ता मृत शिशु की जैविक मां है और इसके अलावा, अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर सका कि मृत शिशु जीवित पैदा हुआ था और इसलिए अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर सका कि शिशु की मृत्यु हत्या की प्रकृति की थी।

2. अन्यथा भी, इस बात का कोई सबूत नहीं है कि अपीलकर्ता अपराध की लेखिका है, इसलिए, वह संदेह के लाभ के आधार पर दोषमुक्त होने की हकदार है।

7. राज्य/उत्तरवादी की ओर से उपस्थित विद्वान पैनल अधिवक्ता श्री एच.ए.पी.एस. भाटिया ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया और अपील तथा अपीलकर्ता की ओर से प्रस्तुत तर्क का विरोध किया। उन्होंने कहा कि अभियोजन पक्ष अपीलकर्ता के विरुद्ध अपराध को संदेह से परे सिद्ध करने में सफल रहा है। उन्होंने आगे कहा कि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर, विचारण न्यायालय द्वारा अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दोषी ठहराना पूर्णतः उचित है। उन्होंने यह भी कहा कि शिशु (अब मृत) का जीवित जन्म होना डॉ. अनिल अग्रवाल (पीडब्लू-5) के कथन से सिद्ध होता है, जिन्होंने पोस्टमार्टम और हाइड्रोस्टेटिक परीक्षण किया था और राधा बाई (पीडब्लू-2) एवं केशर बाई (पीडब्लू-7) के बयानों से भी इसकी पुष्टि होती है।इसके अलावा, डॉ. अनिल अग्रवाल (पीडब्लू-5) के बयान के अनुसार, शिशु की खोपड़ी पर तीन फ्रैक्चर पाए गए थे, यानी पश्चकपाल, पार्श्विका और ललाट की हड्डियां, और इस प्रकार, यह साबित हो गया है कि शिशु जीवित पैदा हुआ था।इसके अलावा, डॉ. (श्रीमती) अल्पना अग्रवाल (पीडब्लू-4), जिन्होंने अपीलकर्ता की चिकित्सकीय जाँच की है, के कथन के अनुसार, अपीलकर्ता ने जाँच के समय 48 घंटों के भीतर एक बच्चे को जन्म दिया था।अतः, यह पूरी तरह से स्थापित है कि अपीलकर्ता ही अपराध का रचयिता है और इस प्रकार, अपील खारिज किए जाने योग्य है।

8. विद्वान न्यायमित्र श्री ऋषि राहुल सोनी ने प्रस्तुत किया कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में बुरी तरह विफल रहा है कि अपीलकर्ता मृत शिशु की जैविक माँ है और वह जीवित पैदा हुआ था। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि हाइड्रोस्टेटिक परीक्षण वह परीक्षण नहीं है जिसके आधार पर यह स्थापित किया जा सके कि बच्चा जीवित पैदा हुआ था और यह मानने के लिए उक्त परीक्षण पर भरोसा करना जोखिम भरा होगा कि मृत शिशु जीवित पैदा हुआ था।वह **मिस लुलानो लोथा बनाम नागालैंड राज्य**[1] के मामले में गुवाहाटी उच्च न्यायालय के निर्णय और **चेल्लम्मा बनाम केरल राज्य**[2] के मामले में केरल उच्च न्यायालय के निर्णय का उल्लेख करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि ऐसी कोई स्वतः धारणा नहीं होनी चाहिए कि जब कोई नाजायज बच्चा मृत पाया जाता है, तो उसे उसकी माँ ने ही मारा होगा और नाजायज बच्चे की माँ की ओर से यह साबित करने की कोई कानूनी ज़िम्मेदारी नहीं है कि बच्चा मृत पैदा नहीं हुआ था। वह **इंद्रकुंवर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य**[3] के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का उल्लेख करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपीलकर्ता दोषी को अभियोजन पक्ष या न्यायालय को यह न बताने का निजता का अधिकार है कि उसके गर्भ में पल रहे बच्चे के साथ क्या हुआ।इस प्रकार, अपील स्वीकार किए जाने योग्य है और अपीलकर्ता दोषमुक्त किए जाने योग्य है, क्योंकि अभियोजन पक्ष ने अपीलकर्ता के विरुद्ध अपराध को उचित संदेह से परे स्थापित नहीं किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और उनके ऊपर दिए गए प्रतिद्वंदी निवेदनों पर विचार किया है और साथ ही अभिलेख का भी ध्यानपूर्वक और गहनता से अध्ययन किया है।

10. भा.दं. सं. की धारा 302 के तहत अपीलकर्ता को दोषी ठहराते हुए विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि के निर्णय और दंड के आदेश की सत्यता का निर्णय करने के लिए, निम्नलिखित प्रश्न विचार के लिए उठते हैं:---

1. क्या अपीलकर्ता मृत शिशु की जैविक माँ है?

2. क्या शिशु जीवित पैदा हुआ था?

3. यदि शिशु जीवित पैदा हुआ था, तो क्या अभियोजन पक्ष द्वारा शिशु की मृत्यु को हत्या की प्रकृति का सिद्ध किया गया है?

4. यदि प्रश्न संख्या 3 का उत्तर हाँ में दिया जाता है, तो क्या अपीलकर्ता अपराध का रचयिता है?

प्रश्न संख्या 1 का उत्तर :

1 1980 SCC ONLINE GAU23

2 AIR1964 KER241

3 2023 SCC ONLINE SC1364

11. अभियोजन पक्ष का यह प्रकरण है कि मृतक शिशु अपीलार्थी की प्राकृतिक संतान था।अतः , अभियोजन पक्ष के लिए यह साबित करना आवश्यक था कि मृत शिशु अपीलकर्ता का जैविक बच्चा था, ताकि आगे यह माना जा सके कि शिशु जीवित पैदा हुआ था और उसकी मृत्यु हत्या की प्रकृति की थी और अपीलकर्ता अपराध का लेखक है, लेकिन अभिलेख पर उपलब्ध अभियोजन पक्ष के साक्ष्य, अर्थात मौखिक और दस्तावेजी, यह मानने के लिए पर्याप्त नहीं हैं कि अपीलकर्ता मृत शिशु की जैविक मां है, हालांकि डॉ. (श्रीमती) अल्पना अग्रवाल (पीडब्लू-4) की एमएलसी रिपोर्ट एक्स.पी-11 रिकॉर्ड पर उपलब्ध है, जो यह स्थापित करती है कि अपीलकर्ता ने परीक्षा के समय 48 घंटे के भीतर एक बच्चे को जन्म दिया था। हालांकि, केवल डॉ. (श्रीमती) अल्पना अग्रवाल (पीडब्लू-4) के बयान के आधार पर, यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि अपीलकर्ता और मृत शिशु के बीच संबंध स्थापित करने के लिए डीएनए प्रोफाइल परीक्षण के अभाव में अपीलकर्ता मृत शिशु की जैविक मां थी।दुर्भाग्य से, विचारण न्यायालय ने भी कोई विशिष्ट निष्कर्ष दर्ज नहीं किया है कि अपीलकर्ता मृत शिशु की जैविक माँ है।इसके अलावा, इंद्रकुंवर (सुप्रा) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि दोषी-अपीलकर्ता और डबरी में पाए गए मृत बच्चे के बीच संबंध साबित करने के लिए ठोस आधार होना चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रश्न संख्या 2 का उत्तर:

12. यद्यपि यह सिद्ध नहीं हुआ है कि अपीलकर्ता मृतक की जैविक मां है, फिर भी विचारण न्यायालय ने डॉ. अनिल अग्रवाल (पीडब्लू-5) के बयान पर भरोसा करते हुए यह अभिनिर्धारित किया है कि शिशु जीवित पैदा हुआ था, जिन्होंने हाइड्रोस्टेटिक परीक्षण किया था, जो सकारात्मक पाया गया है।

13. मोदी के मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड टॉक्सिकोलॉजी, 25 वें संस्करण, पृष्ठ 842 में, हाइड्रोस्टेटिक परीक्षण के बारे में निम्नानुसार कहा गया है:---

"हाइड्रोस्टैटिक परीक्षण।—जब तक सीमाओं को पहचाना जाता है, यह एक उपयोगी परीक्षण है और इसे अवश्य किया जाना चाहिए।यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि श्वसन रहित फेफड़ों का विशिष्ट गुरुत्व 1.04 से 1.05 तक होता है, और श्वसन वाले फेफड़ों का विशिष्ट गुरुत्व 0.94 होता है, क्योंकि हवा की उपस्थिति के कारण उनका आयतन बढ़ जाता है।इसलिए, भ्रूण के फेफड़े पानी में डूब जाते हैं, और जिन्होंने साँस ली है, वे तैरते हैं।"

हालांकि, हाइड्रोस्टैटिक परीक्षण के विरुद्ध दो आपत्तियां उठाई गई हैं जो इस प्रकार हैं:---

"आपत्तियाँ-हाइड्रोस्टैटिक परीक्षण के विरुद्ध निम्नलिखित दो आपत्तियाँ उठाई गई हैं:

(i) फैले हुए फेफड़े रोग या श्वासरोध के कारण डूब सकते हैं।

(ii) बिना फैले हुए फेफड़े कृत्रिम फुलाव से उत्पन्न सड़नशील गैसों की उपस्थिति के कारण तैर सकते हैं।"

14. इसी तरह, स्वर्गीय अल्फ्रेड स्वाइन टेलर द्वारा चिकित्सा न्यायशास्त्र के सिद्धांत तथा अभ्यास, पांचवें संस्करण, पृष्ठ 276-278, हाइड्रोस्टैटिक परीक्षण के बारे में निम्नानुसार कहता है:---

"8. हाइड्रोस्टेटिक परीक्षण केवल यह दिखा सकता है कि बच्चे ने सांस ली है या नहीं – यह हमें यह निर्धारित करने में सक्षम नहीं करता है कि बच्चा जीवित पैदा हुआ है या मृत।

28. हाइड्रोस्टेटिक परीक्षण कथित बाल-हत्या के सभी मामलों में श्वसन या गैर-श्वसन के तथ्य को निर्धारित करने के लिए लागू नहीं है, लेकिन सामान्य सावधानियों के साथ, इसे ऐसे अधिकांश मामलों में सुरक्षित रूप से नियोजित किया जा सकता है।

29. बच्चा जन्म से पहले, जन्म के दौरान या जन्म के बाद सांस ले सकता है, लेकिन हाइड्रोस्टेटिक परीक्षण हमें अधिकतर मामलों में यह निर्धारित करने में सक्षम नहीं करेगा कि इनमें से किस अवधि में श्वसन की क्रिया की गई थी।"

15. हालाँकि, मोदी के मेडिकल ज्यूरिसप्रूडेंस एंड टॉक्सिकोलॉजी (पृष्ठ 855) के अनुसार, पाठ्यपुस्तकों में जीवित जन्म के निदान के लिए हाइड्रोस्टेटिक परीक्षण के उपयोग पर कोई सहमति नहीं है। इसी प्रकार, चिकित्सा न्यायशास्त्र के सिद्धांतों और अभ्यास (पृष्ठ 276 और 278) के अनुसार, हाइड्रोस्टेटिक परीक्षण भी डॉक्टर को यह निर्धारित करने में सक्षम नहीं बनाता है कि बच्चा जीवित पैदा हुआ है या मृत और साँस लेना जीवन का संकेत है, ज़रूरी नहीं कि जीवित जन्म का। अतः, इस स्तर पर, यह मानने के लिए हाइड्रोस्टेटिक परीक्षण पर भरोसा करना असुरक्षित होगा कि बच्चा जीवित पैदा हुआ है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. **मिस लुलानो लोथा (सुप्रा)** मामले में, गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से यह अभिनिर्धारित किया है कि हाइड्रोस्टेटिक परीक्षण, अर्थात् फेफड़ों का टुकड़ों में तैरना, किसी भी तरह से बच्चे के जीवित पैदा होने का निश्चित परीक्षण नहीं हो सकता है।

17. इसी प्रकार, **मद्रास उच्च न्यायालय ने इन रे वीरल उर्फ कनाल**[4] के मामले में हाइड्रोस्टेटिक परीक्षण का उल्लेख करते हुए बताया है कि कोई राय व्यक्त करने से पहले फेफड़ों की सूक्ष्म जांच आवश्यक होगी। इसके अलावा, यह भी बताया गया है कि बच्चे के जीवित या मृत पैदा होने का निर्धारण करने के लिए चिकित्सा विज्ञान द्वारा निर्धारित विभिन्न अन्य परीक्षण, उस मामले में नहीं किए गए थे।

18. इस मामले में, डॉ. अनिल अग्रवाल (पीडब्लू-5) द्वारा किए गए हाइड्रोस्टेटिक परीक्षण के अलावा, कोई अन्य परीक्षण, यद्यपि उपलब्ध थे, यह स्थापित करने के लिए नहीं किए गए कि शिशु जीवित पैदा हुआ था। यद्यपि, केशर बाई (अभियुक्त-7) ने प्रत्यक्षदर्शी होने का दावा करते हुए अपीलकर्ता को बच्चे को जन्म देते हुए देखा है, परन्तु इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उसके अपीलकर्ता के साथ शत्रुतापूर्ण संबंध थे, क्योंकि वे

4 1969 SCC ONLINE MAD186

दोनों आपस में बातचीत नहीं करते थे, झूठे आरोप लगाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि अपराध की तिथि और समय पर उनके बीच भूमि से संबंधित संपत्ति विवाद लंबित था। इस प्रकार, अभियोजन पक्ष यह सिद्ध करने में बुरी तरह विफल रहा है कि मृत शिशु जीवित पैदा हुआ था।

प्रश्न संख्या 3 का उत्तर:

19. भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत अपराध में, अभियोजन पक्ष को सबसे पहले मृतक की हत्या से हुई मृत्यु को प्राथमिक तथ्य के रूप में स्थापित करना होगा **(देखें चंद्रपाल बनाम छत्तीसगढ़ राज्य)**[5] और यह कि शिशु की मृत्यु हत्या की प्रकृति की थी, जो कि भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत आरोप स्थापित करने के लिए अनिवार्य शर्त है, ऐसे में, वर्तमान मामले में, भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत आरोप को साबित करने का प्रश्न विचारणीय नहीं है, क्योंकि अभियोजन पक्ष यह स्थापित करने में विफल रहा है कि शिशु जीवित पैदा हुआ था, जैसा कि हमने पूर्ववर्ती कंडिका में निष्कर्ष निकाला है।

प्रश्न संख्या 4 का उत्तर

20. चूंकि अभियोजन पक्ष यह सिद्ध करने में असफल रहा है कि अपीलकर्ता मृत शिशु की जैविक मां है और यह सिद्ध करने में भी असफल रहा है कि शिशु जीवित पैदा हुआ था, इसलिए शिशु की मृत्यु को हत्या की प्रकृति का नहीं माना जा सकता है और फलस्वरूप, अपराध के लेखक के संबंध में अंतिम प्रश्न (प्रश्न संख्या 4) विचारार्थ नहीं उठता है।हालाँकि, विद्वान न्यायमित्र श्री ऋषि राहुल सोनी ने तर्क दिया है कि इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने इंद्रकुंवर (सुप्रा) मामले में, समान तथ्य-स्थिति में, विचारार्थ दो प्रश्न तैयार किए थे जो इस प्रकार हैं:---

"18. दोषी-अपीलकर्ता के बयान के अवलोकन से यह प्रश्न उठता है कि क्या उसने अपना अपराध स्वीकार किया था?क्या ऐसे बयान के आधार पर अभियोजन पक्ष पर भार स्थानांतरित हो गया? क्या यह कहा जा सकता है कि दोषी-अपीलकर्ता अपनी गर्भावस्था का खुलासा करने के लिए बाध्य थी, यदि ऐसा था, और उस बच्चे का क्या हुआ जिसे वह कथित रूप से गर्भ में ले जा रही थी?

19. इसके अलावा, इस बात पर विचार किया जाना चाहिए कि क्या दोषी-अपीलकर्ता को अभियोजन पक्ष या न्यायालय को यह न बताने का कोई निजता का अधिकार नहीं है कि उसके गर्भ में पल रहे बच्चे के साथ क्या हुआ, विशेष रूप से तब जब अभियोजन पक्ष मृतक को अभियुक्त से किसी भी तरह से संबंधित साबित करने के प्रारंभिक दायित्व और जिम्मेदारी का निर्वहन करने में विफल रहा है?"उपरोक्त प्रश्नों का उत्तर देते हुए सर्वोच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया हैः---

"32. उपरोक्त चर्चा केवल यह इंगित करने के लिए थी कि निजता का अधिकार अनुल्लंघनीय है। दुर्भाग्य से, दोनों विचारण न्यायालय द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण और अपनाई गई भाषा, दोषी-अपीलकर्ता में निहित ऐसे अधिकार को निष्फल कर देती है।यह स्पष्ट है कि बिना किसी ठोस आधार के उस पर दोष मढ़

5 2022 SCC ONLINESC 705

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

दिया गया है क्योंकि उसके और डबरी में मिले मृत बच्चे के बीच किसी भी प्रकार का कोई संबंध स्थापित नहीं किया जा सका है।निष्कर्ष केवल इस आधार पर निकाला गया है कि दोषी-अपीलकर्ता एक अकेली रहने वाली महिला थी और गर्भवती थी (जैसा कि दं. प्र. सं. की धारा 313 के तहत बयान में स्वीकार किया गया है)। न्यायालय के विचार में, यह अपने आप में संदिग्ध था क्योंकि उसे उसके पति ने 'छोड़' दिया था।

33. इस प्रकार का दृष्टिकोण अपनाना, अर्थात्, बिना किसी उचित साक्ष्य के एक महिला पर बच्चे की हत्या का दोष थोपना, केवल इसलिए कि वह गांव में अकेली रह रही थी, जिससे दो असंबंधित पहलू एक दूसरे से जुड़ जाते हैं; यह सांस्कृतिक रूढ़िवादिता और लैंगिक पहचान को मजबूत करता है, जिसके विरुद्ध इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से चेतावनी दी है।"[6]

21. उपर्युक्त कारणों से, अभियोजन पक्ष यह सिद्ध करने में विफल रहा है कि अपीलकर्ता मृत नवजात शिशु की जैविक माँ थी और शिशु जीवित पैदा हुआ था और जन्म के बाद साँस ले रहा था, तथा शिशु की मृत्यु हत्या की प्रकृति की थी और अभियुक्त ही अपराध का रचयिता है और इसके अतिरिक्त, अपीलकर्ता का निजता का अधिकार अनुल्लंघनीय है।इस दृष्टिकोण से, अपीलकर्ता संदेह के लाभ के सिद्धांत पर दोषमुक्त किए जाने का हकदार है।

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

22. परिणामस्वरूप, अपील स्वीकार की जाती है।भा.दं. सं. की धारा 302 के तहत अपीलकर्ता पर लगाई गई दोषसिद्धि तथा दंड को अपास्त कर दिया जाता है।अपीलकर्ता पहले से ही जमानत पर है, उसे जमानत बांड जमा करने की आवश्यकता नहीं है और दं. प्र. सं. की धारा 437-ए में निहित प्रावधानों के तहत उसके जमानत बांड छह महीने की अवधि तक प्रभावी रहेंगे।

23. इस निर्णय की प्रमाणित प्रति मूल अभिलेख के साथ संबंधित विचारण न्यायालय को आवश्यक सूचना और कार्यवाही, यदि कोई हो, के लिए प्रेषित की जाए।

सही/-
(संजय के. अग्रवाल)
न्यायाधीश

सही/-
(दीपक कुमार तिवारी)
न्यायाधीश

6भा.दं. सं. की धारा 497 को रद्द करते हुए, जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ (2019) 3 एससीसी 39 में संविधान पीठ ने रूढ़िवादिता के संबंध में व्यापक चर्चा की है और पाया है कि ऐसी रूढ़िवादिताएँ भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती हैं।

2025: सीजीएचसी:20636-डीबी

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः *हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु* ***निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।***

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur